

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 3656/12-1 दिनांक, पौड़ी, जून, 14, 2017.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- Proposal No- FP/UK/ROAD/ 9783/ 2015
प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर की पत्र संख्या 5539/12-1, दिनांक 12-06-2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा वांछित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार से किया गया है-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	In reply to point no- 2 it is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-I. The muck disposal is proposed to be done on Nap land, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha in para-A-1 (ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B2.4 of online Part-1. Further, the non-forest land has not been shown in para-B-2.1, B-2.2& B-2.3 of online Part-I also.	इस कार्यालय के पत्रांक 3644/10 एल०ए० दिनांक 22.12.2016 एवं पत्रांक 55/10एल०ए० दिनांक 09.01. 2017 द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण कर आपको प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव पुनः उक्त आपत्ति में वापस प्राप्त हुआ है। आपत्ति के संदर्भ में अवगत कराना है कि पार्ट - I के Para-A-1 (ix) Edit Mode न होने के कारण Non-Forest land की प्रविष्टि किसी भी पैरा में नहीं हो पा रही है। Non Forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone no- 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया की Non-Forest Land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव withdraw कर पुनः ऑन लाईन करना होगा। तभी Non Forest land की प्रविष्टि हो पायेगी। महोदय प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन किया जायेगा तो वन भूमि हस्तान्तरण/सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें।

अतः आप उक्त प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,


(जी०के०एस०टी०जी०)

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 5539 / 12-1 .

दिनांक, गोपेश्वर, जून 12 / 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग का पत्रांक 1351/10 एल0ए0 दिनांक 11.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग प्रस्ताव में लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नानुसार किया गया है। :-

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	In reply to point no- 2 it is mentioned that 1.099 ha of forest land p roposed for diversion requiried for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-I. The muck disposal is proposed to be done on Nap land, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha in para-A-1 (ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B2.4 of online Part-I. Further, the non-forest land has not been shown in para-B-2.1, B-2.2& B-2.3 of online Part-I also.	इस कार्यालय के पत्रांक 3644/10 एल0ए0 दिनांक 22.12.2016 एवं पत्रांक 55/10एल0ए0 दिनांक 09.01. 2017 द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण कर आपको प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव पुनः उक्त आपत्ति में वापस प्राप्त हुआ है। आपत्ति के संदर्भ में अवगत कराना है कि पार्ट -I के Para-A-1 (ix) Edit Mode न होने के कारण Non-Forest land की प्रविष्टि किसी भी पैरा में नहीं हो पा रही है। Non Forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone no- 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया की Non-Forest Land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव withdraw कर पुनः ऑन लाईन करना होगा। तभी Non Forest land की प्रविष्टि हो पायेगी। महोदय प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन किया जायेगा तो वन भूमि हस्तान्तरण/सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें।

अतः आप उक्त प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।